

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

कार्यालय विज्ञप्ति

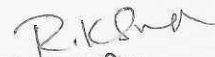
माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-14/Admin 'D' Section dated 15-10-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जिला न्यायालय से सेवानिवृत्ति कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुयी हो अधोलिखित रिक्त पद पर वाहन चालक की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति 65 वर्ष की आयु या 1 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त पद पर भर्ती न हो जाये) की जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।

आवेदक/अवकाश प्राप्त कर्मचारी जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2026 की सायं 05.00 बजे तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय, गोरखपुर के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र० सं०	पद की प्रकृति	रिक्त पदों की संख्या
1	वाहन चालक	1

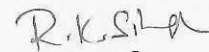
विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा प्रति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु पत्र लिखा जाय।

प्राप्त आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त साक्षात्कार की तिथि व स्थान की सूचना दी जायेगी। उक्त हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।


जनपद न्यायाधीश
गोरखपुर।

प्रतिलिपि: निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय की आफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
02. विशेष कार्याधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय की आफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
03. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
04. सभी सम्बन्धित सूचित हो।


जनपद न्यायाधीश
गोरखपुर।

आवेदन पत्र का प्रारूप

01. आवेदक का नाम :
02. पिता का नाम :
03. आयु (प्रमाण पत्र) :
04. सेवानिवृत्ति की तिथि :
05. सेवानिवृत्ति न्यायालय/
अनुभाग का नाम :
06. सेवानिवृत्ति पद का नाम :
07. पत्र व्यवहार का पता :
08. मोबाईल नम्बर :

उद्घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी सारी सूचनायें सत्य हैं। यदि इनमें कोई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त करा दिया जाय।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर



Through E-mail/Registered Post

From,

Ashish Garg, H.J.S.
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District & Sessions Judges
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad

C.L. No. 14 /Admin. 'D' Section Dated: 15-10-2022

Subject:- Supersession of C.L. No. 41 Admin (D) Section dated 14.04.1980 regarding
Re-appointment of retired District Court Employees.

Madam/Sir,

In the supersession of earlier C.L. No. 41 Admin. (D) Section dated 14.04.1980, Hon'ble Court has been pleased to direct the District Judges that if there is shortage of Staff & difficulty in running the Court, the District Judge under prior intimation to the Hon'ble Court may re-appoint retired District Court Employees against the substantial vacancies existing in their Judgeships, from amongst the superannuated employees of District Court, subject to the terms and conditions as mentioned below:-

1. The said retired District Court Employee must not have attained the age of 65 years.
2. Re-appointment may be offered upto one year at a time of filling up of the substantial vacancy, either by way of promotion or direct recruitment, on which re-appointment has been made or attains the age of 65 years, whichever is earlier.
3. Amount paid as emoluments will be on the principal of last pay drawn minus amount of pension.
4. The District Judge shall offer such appointment after taking into consideration the past record and A.C.R. of the said retired District Court Employees.

Therefore, I am communicating the same for information and compliance.

Yours faithfully,

Ashish
15/10/2022
Registrar General